

17.05.22

प्री.ओ. साहब असा... इत्यादी
होकर पत्रावली दिनांक 24.05.22 को पेश हो।

24/05/2022 वसुन्नाथ उपस्थित।
मूल अपील के साथ दि. 26/05/2022 को
पेश हो।

जिला कलेक्टर, पाली

26/05/2022 वसुन्नाथ उपस्थित।

मूल अपील में अपील करी लागू खारिज होकर
दधीनाथ च्याथलुप द्वारा पालि आदेश का
यथावत रटवे जाने के आदेश परिलक्षित है कि
कारणों के अलावा प्र.प. की आगे चलने रटके
का कोई कार्य प्रतीत नहीं होता है।
लिहाजा प्र.प. खारिज किया जाता है।
पत्रावली फिलहाल शूजाए होकर नभरान
का हो। मूल अपील के संलग्न हो।

जिला कलेक्टर, पाली